

फर्द अहकाम

सुरजानी वगै० बनाम राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर)

प्रकरण संख्या ५१/2021 दावा बाबत इन्द्राज खातेदारी उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आज्ञा विस्तृत रूप से

क. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	1=13/21	<p>उपरोक्त पत्र/अभिभावक संघ ने न्यायिक कार्य स्थानित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में प्रशस्त गत आदेशानुसार दि. ५/५/२१ को पेश है।</p> <p>(रीडर)</p>
	५/५/२२	<p>उपरोक्त पत्र/अभिभावक संघ ने न्यायिक कार्य स्थानित रखा / P.O. साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में प्रशस्त गत आदेशानुसार दि. ५/५/२१ को पेश है।</p> <p>(रीडर)</p>
	५/५/२२	<p>पत्रपत्नी आज पेश हुई प्रमाण के आधार पर पत्रपत्नी को पाली के द्वारा उदघोषणा तथा सीरमिड की नहीं रखी है तथा नवीन आज प्रमाण के उपस्थित है। आज नए प्रमाण के उपस्थित की प्रमाणित (समय के अनुसार) के दोनो तब कोडी उपस्थित नहीं होने पर नए प्रमाण के उपस्थित नहीं होने पर नए प्रमाण के उपस्थित किया जाता है। पत्रपत्नी के नाम के अन्तर्गत साक्षिक इफ्तखार है।</p> <p>(साहब)</p>